राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) धौलपुर (राज0)

क्रमांकः– सखअ / सतर्कता / धौल / लेखा / वाहन संविदा / 2019–20 / दिनांकः–

सीमित निविदा आमंत्रण सूचना 01 / 2019–20

सर्वसाधारण विशेषकर टेक्सी परमिट निजी वाहन मालिकों / फर्मों / ट्रावेल्स एजेन्सीयों को सूचित किया जाता हैं कि इस कार्यालय के उपयोग हेतु एक वाहन (जीप / बोलेरो) जो वर्ष 2014 या उसके पश्चात् के मॉडल की हो, की आवश्कता हैं। इस सूचना में संलग्न शर्तों के अनुरूप जो वाहन मालिक / ट्रेवल्स एजेन्सीज संविदा के आधार पर किराये पर देने हेतु इच्छुक हो, तो नीचे अंकित **प्रारूप** में अपनी दरों का प्रस्ताव बंद लिफाफे में कार्यालय **सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता)**, **खान एवं भू विज्ञान विभाग**, **धौलपुर** में दिनांक **25.10.2019 को दोपहर 12 बजे तक** प्रस्तुत कर सकते हैं, प्राप्त दर प्रस्ताव उसी दिवस **25.10.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे** उपस्थित प्रस्तावकों के समक्ष या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष इस विभाग की गठित कमेटी या विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा खोले जायेगें।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	वाहन की प्रति माह अधिकतम किराया राशि	वाहन किराये पर लेने की अवधि
1	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता), **खान एवं भू विज्ञान विभाग**, धौलपुर	एक डीजल (जीप / बोलेरो)	28500 / –	01.11.2019 से 31.03.2020 तक

सीमित निविदा में दरें निम्नानुसार प्रस्तुत की जावें :–

1. सीमित निविदा में वाहन किराये की निश्चित राशि 1500 कि.मी. प्रतिमाह या उससे कम दूरी के लिये ही प्रस्तुत करनी होगी। जो अधिकतम 24000 / – रूपये तक हो सकती हैं। वाहन के प्रतिमाह 1500 कि.मी. से अधिक उपयोग की स्थिति में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2(4)एफडी / एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 28.02.2019 के निर्देशानुसार (1500 कि.मी. से अधिक दूरी पर जो कि अधिकतम 2000 कि.मी. तक होगी) 9.00 / – रूपये प्रति कि.मी. की निश्चित दर से भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार कुल भुगतान राशि 2000 कि.मी. होने पर 28500 / – की सीमा तक होगी।

सीमित निविदा की सामान्य शर्तें :–

1. सीमित निविदा दूरभाष तथा विलम्ब से प्राप्त एवं निर्धारित प्रपत्र नहीं होने पर मान्य नहीं होगी।
2. सीमित निविदा प्रपत्र अपूर्ण होने पर मान्य नहीं होगा।
3. निम्नहस्ताक्षरकर्ता को बिना किसी कारण बताये किसी एक अथवा समस्त सीमित निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. अन्य शर्तें कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस पर नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।

-sd-

सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता)
धौलपुर

क्रमांकः– सखअ / सतर्कता / धौल / लेखा / वाहन संविदा / 2019–20 / 62 दिनांकः– 16.10.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. श्रीमान **निदेशक**, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त निविदा **एस.पी.पी.पी. पोर्टल** पर अपलोड करवाने की कृपा करावें।
2. श्रीमान **वित्तीय सलाहकार**, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. श्रीमान **अतिरिक्त निदेशक (खान)** (सतर्कता), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान **अधीक्षण** खनि अभियन्ता (सतर्कता), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, **भरतपुर वृत भरतपुर**।
5. सूचना पट्ट कार्यालय हाजा / सूचना पट्ट नगरपालिका / कलेक्ट्रेट सूचना पट्ट / **कोषालय** सूचना पट्ट ।
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता)
धौलपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) धौलपुर (राज0)

किराये पर बोलरो वाहन रखने हेतु संविदा की शर्तें:–

1. वाहन आर.टी.ओ. / पंजीकृत प्राधिकारी से टैक्सी कोटे में इन्शोरड व रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वाहन का मोडल वर्ष 2014 या उसके पश्चात् की हो। वाहन पूर्ण रूप से उपयुक्त (FIT) अच्छी स्थिति में हो। लेकिन प्राप्त आवेदनों में से नये वाहनों को प्राथमिकता देते हुए वरियता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता के आधार पर वाहन किराये पर लिए जायेंगे।
2. सभी प्रकार के टेक्स, परमिट, बीमा, सर्विस टैक्स, फिटनेस, सामयिक प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र कानूनी दावें तथा वाहन चालक द्वारा नियम / कानून का उल्लंघन करने पर वाहन आदि समस्त के लिए अनुमोदित संवेदक की जोखिम पर होगा।
3. सभी विधिक कटौतियां जैसे आयकर, सेवाकर, जीएसटी इत्यादि भुगतान के समय लागू विधि / नियमों के अनुसार की जावें।
4. वाहन जहां तक संभव हो कार्यालय परिसर में ही पार्क किया जावें लेकिन अनुमोदित संवेदक की जोखीम पर होगा।
5. प्रत्येक वाहन के अनुमोदित संवेदक एक प्लेट उपलब्ध करायेगा जिस पर (ON GOVERNMENT DUTY) लिखा होगा जो एक फ्रेम में होगी जिसे लगाया व हटाया जा सकेगा, जब वाहन ऑन ड्युटी में हो तब उक्त प्लेट को प्रभारी अधिकारी वाहन से हटाकर अपने संरक्षण में रखेगा।
6. वाहन चालक साफ व स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ सुथरा रखेगा। वाहन चालक का व्यवहार वाहन को प्रयोग में लेने अधिकारी के साथ उचित (Proper) रहेगा। साथ ही चालक के पास वैधय लाईसेन्स होना आवश्यक हैं।
7. वाहन 24 घंटे प्रभारी अधिकारी के नियत्रण में रहेगा तथा वाहन चालक प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना वाहन छोड कर नहीं जायेगा।
8. अनुमोदित संवेदक द्वारा उल्लेखित दर दिनांक 01.11.2019 से 31.03.2020 तक मान्य होगी ।
9. समय व दूरी की गणना ड्युटी पॉइट / स्थल से होगी। इसके लिए बोलेरो ड्राईवर लॉग बुक हमेशा अपने साथ रखेगा। यात्रा समाप्ति पर लॉग बुक कार्यालय में जमा करायेगा।
10. किराये के वाहन को जिला धौलपुर के क्षेत्र के अधिकार में कही भी लिया जा सकता हैं। मुख्यालय के अतिरिक्त रात्रि ठहराव के लिए वाहन चालक को 300 / – प्रति रात्रि देय होगें।
11. विभाग की मांग करने पर अनुमोदित संवेदक द्वारा वाहन उपलब्ध कराना होगा। विभाग अनुमोदित संवेदक को वाहन की मांग अग्रिम में सूचित करेगा।
12. अनुमोदित संवेदक द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो राशि 1000 / – प्रतिदिन प्रति वाहन पेलेन्टी अनुमोदिक संवेदक पर लगाई जायेगी तथा विभाग अन्य वाहन किराये पर ले सकेगा। यदि अतिरिक्त चार्ज भुगतान करना पडे तो अनुमोदित संवेदक से वसूला जा सकेगा।
13. यदि वाहन खराब हो जाता हैं या बीच रास्ते में बंद हो जाता हैं तो अनुमोदित संवेदक द्वारा स्वंय के खर्चे पर अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा।
14. यात्रा के दोरान मूल कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाण पत्र क्षेत्र में चलने का परमिट, इन्शोरेंस अन्य संबंधित वाछिंत कागजात वाहन में चालक की अभिरक्षा में होने चाहिये।
15. वाहन संधारण चार्जेज, पेट्रोल / डीजल आदि का वहन अनुमोदित संवेदक द्वारा किया जायेगा।
16. टोल टेक्स के सिवाय समस्त टेक्स अनुमोदित संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा। अनुमोदित संवेदक द्वारा संदत्त टोल टेक्स के संदाय की रसीद संलग्न करते हुए राशि बिल में शामिल करेगा।
17. भुगतान प्रकियाः– अनुमोदित संवेदक द्वारा लोग बुक प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए बिल दौहरी प्रति में प्रस्तुत करना होगा। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। अनुमोदित संवेदक द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के 10 दिन के भीतर–भीतर लॉग बुक के साथ बिल सम्बंधित सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
18. समस्त प्रकार के दायित्वों दुर्घटना दावों सहित यदि कोई हो का वहन अनुमोदित संवेदक द्वारा किया जावेगा।
19. अनुबंध से संबंधित समस्त विवाद / प्रश्नों को निर्धारण सरकार द्वारा किया जावेगा और सरकार का निर्णय अंतिम होगा। जिसके लिये वाहन स्वामी / व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म बाध्य होगा।
20. धरोहर राशिः– सफल आवेदक को राशि रू0 17100 / – (सत्रह हजार एक सौ मात्र) डीमांड ड्राफट विभाग पत्र प्राप्ति के सात दिवस में जमा कराना होगा। ड्राफट डी.डी. जो कि **सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) धौलपुर** पक्ष में देय होगा। साथ ही 500 रू0 के नोनन्युडीशियल स्टाम्प पर करार पत्र पेश करना होगा।
21. समस्त शर्ते वित विभाग (बजट डिविजन) परिपत्र कमांक एफ2(4)एफडी / एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 28.02.2019 की शर्तो के अध्यधीन होगी।
22. सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) धौलपुर में एक वाहन हेतु मासिक चलन की अधिकतम सीमा 2000 कि.मी. होगी तथा अधिकतम सीमा से अधिक चलन हेतु निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्रथम 1500 कि.मी. या इससे कम चलने का भुगतान अधिकतम रू0 24000 / – मासिक दर तथा इससे अतिरिक्त चलने पर अधिकतम प्रति कि.मी. 9.00 / – की दर से भुगतान किया जा सकेगा।
23. **माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर दवारा रिट संख्या 372 / 2013 अनोखी बाई व अन्य विरुद्ध राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित निर्णय की पालना मे अनुमोदित संवेदक दवारा वाहन चालक को कम से कम दिए जाने वाले भते निर्धारित करने होंगे तथा इस बाबत प्रमाण पत्र माह के अंत मे कार्यालय मे निर्धारित प्रारूप मे जमा करना होगा।**
24. निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथी को स्थानीय / सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति या अन्य किसी कारण से निविदा नहीं खोले जाने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को यथा निर्धारित समय पर प्राप्त / खोले जायेंगे।
25. खान विभाग में कार्यरत कोई भी कर्मचारी / उक्त निविदा कमेटी सदस्य, उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नही होंगे।

सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता)
खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) धौलपुर (राज0)

वाहन किराये हेतु **सीमित निविदा** प्रपत्र वर्ष 2019–2020 (01.11.2019 से 31.03.2020)

1	निविदा दाता का नाम एवं पूर्ण पता	
	मोबाईल / टेलिफोन नम्बर	
2	डीजल वाहन (जीप / **बोलरो**) का टैक्सी नम्बर	
3	डीजल वाहन (जीप / **बोलरो**) का परमिट नम्बर (परमिट एवं वाहन बीमा चुकता रशीद की प्रति संलग्न करें)	
4	डीजल वाहन (जीप / **बोलरो**) का मॉडल वर्ष	
5	वाहन चालक का नाम एवं पूरा पता	
6	वाहन चालक का लाईसेंस नम्बर (लाइसेन्स की प्रति संलग्न करें)	
7	किराया की दर (प्रति वाहन) (पी0ओ0एल0 व अन्य समस्त व्यय राशि सहित)	
	(I) प्रति माह 1500 कि.मी. तक (अंको में) (शब्दों में)	
	(II) प्रति माह 1500 कि.मी. के बाद प्रति कि.मी. (अंको में) (शब्दों में)	
8	टेण्डर की अवधि	01.11.2019 से 31.03.2020
9	विशेष विवरण	
10	सीमित निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं। निविदा दाता के हस्ताक्षर नाम पूर्ण पता मो0 / टेलिफोन नं0 पेन कार्ड नं0 GSTIN NO.	

सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता)
खान एवं भू–विज्ञान विभाग, धौलपुर